

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

अर्जुन प्रसाद सिंह प्रथम पक्ष

बनाम

मनोहर सिंह चौहान द्वितीय पक्ष

वाद संख्या २५/२०२५

धारा २०५/१५५

अनुसूची-14 फारम 10 562

आदेश-पत्रक

(दिखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० क. ता० से तक

जिला सं० सन् 20.....

केस का प्रकार

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11/5/2024	आवेदक/अवेदिका <u>अर्जुन प्रसाद सिंह</u> पिता/पति .. <u>हनुमान प्रसाद सिंह</u> ग्राम <u>मुण्डरी येला रोसा</u> थाना <u>बगोदर</u> जिला <u>गिरिडीह</u> द्वारा द० प्र० सं० की धारा 145 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा <u>मुण्डरी</u> खाता <u>30</u> प्लॉट <u>765</u> रकबा <u>50510 मर्चे 25510 चौहदी</u> : 30- <u>सी जे एम एस राव</u> द०- <u>राम प्रसाद सिंह</u> पू० <u>जगदीश प्रसाद</u> प०- <u>सी जे एम एस राव</u> में भू-विवाद के कारण आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी <u>बगोदर</u> /थाना प्रभारी <u>बगोदर</u> से माँगे। अभिलेख दिनांक <u>28/5/2024</u> को उपस्थापित करें।	194 11/5/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर-सरिया।



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या - १५/२०२४

धारा 145 द०प्र०सं०

आदेश की
क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई
के बारे में
टिप्पणी
तारीख सहित

1

2

3

21/6/24

प्रथम पक्ष द्वारा द०प्र०सं० की धारा 145 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष (मनोहर सिंह वगै०) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी बगोदर से प्रतिवेदन/मंतव्य की माँग की गई थी।

अंचल अधिकारी, बगोदर के पत्रांक संख्या- 465, दिनांक- 13.06.2024 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि के दखल-कब्जा को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 145 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों से दिनांक 21/7/2024 को कारण-पृच्छा की माँग की जाती है। क्यों नहीं पक्ष विशेष के पक्ष में दखल-कब्जा सम्पुष्ट कर दिया जाये।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	चौहद्दी
मुण्डरो	07	30	765	50 डी० मध्ये 25 डी०	30-नीज प्रथम पक्ष का परती भूमि, द०- राम प्रसाद सिंह, पू०- ग्रामीण पक्का सड़क, प०- नीज प्रथम पक्ष का मकान।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया(गिरिडीह)

(2)

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

3

क्र० सं०
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

1

21/7/24

अभिलेख उपस्थापित ।
उमप पक्ष बकायतन दफ्तर । डिग्री परामर्श ।डिग्री पर 6 डर
जवाब 6 दिने समय की
मांग की गई।

16-07-2024 को रखा।

02-07-2024

16/7/24

उमप पक्ष बकायतन दफ्तर ।
अभिलेख दिनांक 13/8/24 को रखा।16-07-2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

22/8/24

अभिलेख उपस्थापित ।
दिनांक 21/7/24 से 21/8/24 तक अनुसंधान
कर्मचारी दफ्तर में रहने के कारण
सुनवाई नहीं हो पाई।

उमप पक्ष अनु० ।

अभिलेख दिनांक 24/9/24 को रखा।

22-08-2024

24/9/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
उमप पक्ष बकायतन दफ्तर ।
अभिलेख दिनांक 15/10/24 को रखा।अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<u>15/10/24</u>	उभय पक्ष बकायतन हाजिर। अभिलेख दिनांक 08/12/24 को रखे।	
<u>03/12/24</u>	अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह) उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष का लो पुर्दा दाखिल करने हेतु समय की मोहक कर रहे हैं। स्वीकृत। अगली तिथि - 24/12/24 1 03/12/24	
<u>24/12/24</u>	उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा का लो पुर्दा उपलब्ध कराया गया जिसे प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करा दिया गया है। अगली तिथि : 04-02-25 24/12/24	
<u>4/2/25</u>	उभय पक्ष बकायतन हाजिर। अभिलेख दिनांक 25/2/25 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
<u>25/2/25</u>	उभय पक्ष बकायतन हाजिर। अभिलेख दिनांक 19/3/25 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19/3/25	आम पत्र अनु०/डिप्टीपत्र 350 । अभिज्ञान विवाह 22/4/25 को रहे।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरडीह) <u>अप/अ</u> आम पत्र उपरिलिखित / आम पत्र के विज्ञान अधिपत्रका को लुका। डिप्टीपत्र के विज्ञान अधिपत्रका का कहना है कि इसी नालानी जमीन पर Title suit चल रहा है अतः वाद को छोड़िय दिया जाना अपेक्षित है। छोड़े इसी जमीन पर गंभीर, title तथा possession के लिए appropriate court में appropriate suit दाखिल है अतः वाद को चलाए जाने का कोई मौखिक नहीं है अतः वाद की कार्यवाही समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की - प्रति आम पत्र को भेजें।  <u>अप/अ</u>	